Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : **अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0**

प्रकरण सं0 07/2011

(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

1. जयराम पुत्र श्री बचनाराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. रामेश्वर लाल पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री बचनाराम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. अमनदीप सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री रामप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी
श्री बलविन्द्र सिंह बराड़, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या– 01
श्री सतविन्द्र सिंह गिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या– 02

आदेश **दिनांक : 28.10.2020**

प्रस्तुत शिकायत का सार है कि राज्य सरकार ने एक परिपत्र दिनांक 23.02.1961 को जारी कर यह आदेश दिया था कि पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15 बीघा जमीन अलाट करने का प्रबन्ध किया जावें। इसकी पालना में चक 2 एम तहसील श्रीकरनपुर, ग्राम पंचायत फूसेवाला को मु.नं. 38 में 7.00 बीघा व मु.नं. 43 में 6.10 बीघा व मु.नं.51 में 7.10 बीघा जमीन बारानी व नहरी अलाट की गयी थी। उक्त आराजी में से अप्रार्थी ने चक हाजा का मु.नं.51 पुराना, नया 39 जो फुसेवाला आबादी के साथ चिपता हुआ है उसमें से 2.15 बीघा बारानी आराजी पटवारी हल्का से मिलकर राजस्व अधिकारियों से मिलकर दिनांक 03.08.1994 को चोरी छिपे बिना किसी सूचना के स्मॉलपेच में अलॉट करवा ली और उपरोक्त आराजी मु.नं.39 के किला नम्बर 5 में 13 बिस्वा, 6 में 19 बिस्वा, 7 में 15 बिस्वा, 14 में 8 बिस्वा कुल 2.15 बीघा बारानी रकबा केवल 1604/– रूपये में स्मॉलपेच में अलाट करवा लिया और चुपचाप मिलीभगत से रिकॉर्ड में इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। उक्त आराजी गांव फुसेवाला तहसील श्रीकरनपुर की आबादी के साथ चिपती हुई है और इसके पास ही वाटर वर्क्स लगा हुआ है किसी भी तरीके से अलाटमेन्ट नहीं किया जा सकता था। ग्राम पंचायत के नाम से अलाटमैन्ट होते हुये मिलीभगत से उक्त रकबा अलाटमेन्ट करवाया गया है और यदि स्मॉलपेच में यदि किसी को अलाट करना था तो इस मुरब्बा में बाकी को भी नोटिस दिया जाना चाहिए था और खुली निलामी में जमीन का बेचान करना चाहिये था। जमीन आबादी में होने की वजह से बहुत कीमती है इसलिये मिलीभगत से उक्त अलाटमैन्ट गैरसायल ने करवाया है, जो लाखों रूपये की जमीन है और इस जमीन के साथ चिपती हुई शुगरमिल का निर्माण किया जा रहा है तथा आबादी के लिये ही काम में आ रही है। अप्रार्थी के पास पहले से ही बहुत जमीन है और वह

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

स्मॉलपेच में भी किसी तरीके से इस जमीन को पाने का हकदार नहीं था। अतः अप्रार्थी को किया गया अलाटमेन्ट दिनांक 03.08.1994 खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 कालूराम पुत्र श्री बचनाराम ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत 2 एम फुसेवाला की पंचायत भूमि मु.नं. 39 के किला नम्बर 5 में 13 बिस्वा, 6 में 19 बिस्वा, 7 में 15 बिस्वा, 14 में 8 बिस्वा कुल 2.15 बीघा बारानी रकबा केवल 1604/– रूपये में स्मॉलपेच में दिनांक 03.08.1994 अलाट करवाई गई है उक्त आराजी गांव फुसेवाला तहसील श्रीकरनपुर की आबादी के साथ चिपती हुई है और इसके पास ही वाटर वर्क्स लगा हुआ है किसी भी तरीके से अलाटमेन्ट नहीं किया जा सकता था। यदि स्मॉलपेच में यदि किसी को अलाट करना था तो इस मुरब्बा में बाकी को भी नोटिस दिया जाना चाहिए था और खुली निलामी में जमीन का बेचान करना चाहिये था। जमीन आबादी में होने की वजह से बहुत कीमती है इसलिये मिलीभगत से उक्त अलाटमैन्ट गैरसायल ने करवाया है। अतः अप्रार्थी को किया गया अलाटमेन्ट दिनांक 03.08.1994 खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत 2 एम फुसेवाला के मु.नं. 39 के किला नम्बर 5 में 13 बिस्वा, 6 में 19 बिस्वा, 7 में 15 बिस्वा, 14 में 8 बिस्वा कुल 2.15 बीघा बारानी रकबा उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश कमांक 1201–04 दिनांक 03.08.1994 से भूमि आवंटित की थी। उक्त आवंटन आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीकरनपुर द्वारा इन्तकाल नम्बर 106 दिनांक 10.05.1995 को स्वीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत रंजिशवंश की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 2 एम पटवार हल्का फूसेवाला तहसील श्रीकरनपुर के खाता संख्या 9, मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 5/1 में .088 हैक्टर, किला नम्बर 5/2 में .076 हैक्टर, किला नम्बर 6 में .240 हैक्टर, किला नम्बर 7/1 में .114 हैक्टर, किला नम्बर 7/2 में .076 हैक्टर, किला नम्बर 14/1 में .101 हैक्टर कुल तादादी 0.695 हैक्टर बारानी जरिये बैयनामा दिनांक 09.09.2011 अप्रार्थी संख्या 01 से खरीद की हुई है जिसका इन्तकाल दिनांक 14.10.2011 को प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुका है जिसका अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 हो चुका है। मौके पर प्रार्थी काबिज है तथा काश्त की हुई है। शिकायत खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की रिपोर्ट कमांकः– आवंटन/2014/150 दिनांक 30.04.2014 अनुसार ग्राम पंचायत 2 एम फुसेवाला जिला श्रीगंगानगर अनुसार मु.नं.39 तादादी 8.05 बीघा बारानी सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड थी जिसमें से तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश कमांक 1201–04 दिनांक 03.08.1994, मु.नं.39 के किला नम्बर 5–6–7–14 की कुल तादादी 2.15 बीघा कुतरी भूमि आवंटित की थी। आदेश में बारानी भूमि का चालान 583 दिनांक 03.09.1994 राशि 1604/– जमा खजाना होने बताये गये। इस आदेश की पालना में तहसीलदार के आदेश कमांक 1977 दिनांक 25.03.1995 के द्वारा इन्तकाल नम्बर 106 दिनांक 10.05.1995 कालूराम के नाम से स्वीकृत हुआ है। यह आवंटन करीब 20 वर्ष पुराना है उस समय भूमि की कीमत भी 20 गुणा कम थी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

इन्तकाल नम्बर 217 दिनांक 18.02.2006 सनद के आधार पर कालूराम को खातेदारी मिली है। सितम्बर 2011 में कालूराम ने यह रकबा आगे अमनदीप सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ को बेचान कर दिया था। इन्तकाल नम्बर 339 दिनांक 14.10.2011 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में रिकॉर्ड में यह भूमि अमनदीप सिंह के नाम से खातेदारी चली आ रही है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में विचाराधीन शिकायत से सम्बन्धित मूल आवंटन पत्रावली गुमशुदगी दिनांक 06.01.2018 को पुलिस थाना श्रीकरनपुर में करवाई गई। मूल आवंटन पत्रावली के आभाव में विवादित रकबा मु.नं.39 के किला नम्बर 5–6–7–14 की कुल तादादी 2.15 बीघा कुतरी आंवटन के चिपते काश्तकारो को सुना गया है या नही के बारे में ज्ञात नहीं होता। शिकायत में यह बिन्दु भी अंकित है कि ग्राम पंचायत 2 एम फूसेवाला ने चक 2 एम के मुरब्बा नम्बर 38 में 7 बीघा,मु.नं. 43 मे 10 बिस्वा एवं मु.न. 51 में 7 बीघा जमीन अलाटमैंट होना बताया है। ग्राम पंचायत 2 एम फूसेवाला में उक्त भूमि के अलाटमेंट के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अति0 जिला कलक्टर
(सतर्कता), श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)